# न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी रमेश देव, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 34 / 2023

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| रणजीत कुमार पुत्र कसराराम जाति भील निवासी रूपावटी कलां तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर | | 1. कपुराराम पुत्र दीपाराम<br>2. दरगाराम पुत्र सवाराम<br>3. हरीकृष्ण पुत्र भीखाराम जातियान भील निवासीयान करड़ा<br>4. शंकरा पुत्र चतुरा जाति भील निवासी रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर<br>5. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा जिला सांचौर |

**अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थिति :–

1. वादीगण अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवड़ा।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह।

## : –: निर्णय :–

दिनांक 14.03.2024

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सरहद मौजा रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की सामलाती खातेदारी आराजी नवीन खसरा नंबर 1124 रकबा 1.70 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम की आई हुई हैं। उक्त विवादीत आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रत्येक 3/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/8 हिस्सा खातेदारी का हैं।

   उक्त वादग्रस्त आराजीयान का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं, परन्तु मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच बंटवाड़ा हो चुका हैं। वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड व विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने से उक्त सामलाती आराजी का विकास करने में परेशानी आ रही हैं। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को उक्त आराजी का आपसी सहमति से कई बार विधिवत बंटवाड़ा करवाने का कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने उक्त आराजी का विधिवत बंटवाड़ा करवाने में आना कानी की। दिनांक 15.04.2023 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को वादग्रस्त आराजी का मौके पर कब्जे काश्त व हिस्से माफिक आपसी सहमति से रास्ते के बिन्दू को ध्यान में रखकर बंटवाड़ा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवाड़ा करवाने से मना कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वादी को ऐलानिया धमकी दी कि हम उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाड़ा नहीं करवायेगे तथा तुमने ज्यादा किया तो हम तुम्हें तुम्हारे कब्जे काश्त की आराजी से लाठी के बल पर बैदखल कर देंगे तथा उक्त [illegible] को बिना बंटवाड़ा करवाये ही अजनबी क्रेता को बैचान कर देंगे। इसलिए [illegible] आराजी का अपने हिस्से व मौके पर कब्जे काश्त माफिक व बाई [illegible] के आधार पर रास्ते के बिन्दू को ध्यान में रखकर बंटवाड़ा करवा कर अपना हिस्सा [illegible]ग बंटवाड़ा में प्राप्त [illegible] का अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2024.03.27 15:37:10 IST
Reason: SelfAttested

होने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के अवैध व गेर कानूनी कृत्यों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रूकवाने का अधिकारी होने से वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह दावा बाबत बंटवाड़ा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश हैं।

वादी की वादपत्र अनुसार इस्तदुआ है कि मौजा रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नंबर 1124 रकबा 1.70 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच वाद पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तथा मौके पर कब्जे काश्त अनुसार व रास्ते के बिन्दू को ध्यान में रखकर बंटवाड़ा कर वादी को उनके कब्जे काश्त माफिक 1/4 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रत्येक को 3/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 को प्रत्येक को 1/8 हिस्सा आराजी अलग बंट में दी जावे तथा इसी माफिक लगान के निर्धारण व राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेश फरमावे। व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावे कि बाद बंटवाड़ा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 उपरोक्त आराजी में वादी के बंट की आराजी में वादी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में न तो स्वयं कोई दखल या बाधा पैदा करे तथा न ही किसी अन्य से कोई बाधा या दखल पैदा करावे।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से जरिये अधिवक्ता ईकबालिया जवाब दिया गया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से बाद तामिल समन कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
3. दिनांक 18.01.2024 को न्यायालय द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ता के निवेदन पर विवादीत आराजी मौजा रानीवाडा खुर्द, तहसील रानीवाडा के खसरा नम्बर 1124 रकबा क्रमश 1.70 हेक्टेयर आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बिच हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार रास्ते की सुविधा देते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तहसीलदार रानीवाडा से पत्रांक/कोर्ट/2024/30 दिनांक 19.05.2024 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राज./2024/146 दिनांक 28.02.2024 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।
4. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विद्वांन अधिवक्ताओ को सुना गया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा करने का निवेदन कर सहमति स्वरूप आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये गए। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्न लिखित अनुसार जारी की जाती है।

| क्र. स. | खातेदार का नाम | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टे0 में | बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में | किस्म | नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर) | लगान राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कपूराराम पुत्र दीपाराम जाति भील सा0 करडा खातेदार | 1124 | [illegible] | 0.425 | बा.प्र. | नीला | नियमानुसार |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2024.03.27 15:37:10 IST
Reason: SelfAttested

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | दरगाराम पुत्र सवाराम जाति भील सा. करडा खातेदार | 1124 | 1.70 | 0.31875 | बा.प्र. | हरा | |
| 3 | रणजीत कुमार पुत्र कसराराम जाति भील सा. रूपावटी कलां खातेदार | 1124 | 1.70 | 0.425 | बा.प्र. | गुलाबी | |
| 4 | शंकरा पुत्र चतुरा जाति भील सा. देह खातेदार | 1124 | 1.70 | 0.2125 | बा.प्र. | नारंगी | |
| 5 | हरीकृष्ण पुत्र भीखाराम जाति भील सा. करडा खातेदार | 1124 | 1.70 | 0.31875 | बा.प्र. | पीला | |

5. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीयॉ नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवाडा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के हक में प्राप्त आराजी के संबंध में एक दुसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला—सांचौर

निर्णय आज दिनांक 14.03.2024 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला—सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2024.03.27 15:37:10 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

**(civil procedure code, Appendix "D"-1)**

## अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी रमेश देव, आर.ए.एस.

| वादीगण | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| रणजीत कुमार पुत्र कसराराम जाति भील निवासी रूपावटी कलां तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर | बनाम | 1. कपुराराम पुत्र दीपाराम<br>2. दरगाराम पुत्र सवाराम<br>3. हरीकृष्ण पुत्र भीखाराम जातियान भील निवासीयान करड़ा<br>4. शंकरा पुत्र चतुरा जाति भील निवासी रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर<br>5. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा जिला सांचौर |

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 34/2023

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री श्रवणसिंह देवड़ा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के वकील श्री सुमेरसिंह, प्रतिवादी संख्या 5 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर कोई उपस्थित नहीं होने एकपक्षीय कार्यवाही की गई। मनजानिब मुद्रायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

| क्र. स. | खातेदार का नाम | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टे0 में | बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में | किस्म | नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर) | लगान राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कपूराराम पुत्र दीपाराम जाति भील सा0 करडा खातेदार | 1124 | 1.70 | 0.425 | बा.प्र. | नीला | नियमानुसार |
| 2 | दरगाराम पुत्र सवाराम जाति भील सा. करडा खातेदार | 1124 | 1.70 | 0.31875 | बा.प्र. | हरा | |
| 3 | रणजीत कुमार पुत्र कसराराम जाति भील सा. रूपावटी कलां खातेदार | 1124 | 1.70 | 0.425 | बा.प्र. | गुलाबी | |
| 4 | शंकरा पुत्र चतुरा जाति भील सा. देह खातेदार | 1124 | 1.70 | 0.2125 | बा.प्र. | नारंगी | |
| 5 | हरीकृष्ण पुत्र भीखाराम जाति भील सा. करडा खातेदार | 1124 | 1.70 | 0.31875 | बा.प्र. | पीला | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2024.03.27 15:37:10 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोयां नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। उक्त बंटवारा अनुसार वादी व

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14.03.2024 को जारी की गई।

( रमेश देव )
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–सांचौर

| मुद्दई | रूपया | पैसा | मुद्दयलाह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | 2 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 | जवाबदावा | 0 | 00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | 0 | 00 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 00 |
| महनताना वकील | 0 | 00 | महनताना वकील | 0 | 00 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 00 | खर्चा गवाहान | 0 | 00 |
| फीस कमीश्नर | 0 | 00 | फीस कमीश्नर | 0 | 00 |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 00 | बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 00 |
| मुतफरिक | 0 | 00 | मुतफरिक | 0 | 00 |
| मौजाना | 3 | 00 | मौजाना | 1 | 00 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2024.03.27 15:37:10 IST
Reason: SelfAttested